न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी– श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 25 / 2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023 / 121

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
राजस्थान सरकार जरिये,रामलाल जाट, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) , जिला रसद कार्यालय, नागौर		1. जीवण मोहम्मद पुत्र नसीर खां निवासी पीह तहसील परबतसर

अपील अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए. सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तसुदा सामग्री के निस्तारण बाबत।

उपस्थित :–

1. **अपीलांट की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) श्री रामावतार पूनियां**

–: निर्णय :–

दिनांकः **12.02.2024**

1. अपीलान्ट द्वारा यह अपील आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए. सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तसुदा सामग्री के निस्तारण बाबत प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।
2. अपील के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 25.11.2022 को श्री अंकित पंचार जिला रसद अधिकारी, नागौर हमराह श्री कंवराराम प्रवर्तन अधिकारी, श्री रामलाल जाट प्रवर्तन निरीक्षक, श्री विरेन्द्रसिंह जाखड़ प्रवर्तन निरीक्षक, श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दूरभाष पर ग्राम पीह तहसील परबतसर में घरेलू गैस के व्यवसायिक दुरूपयोग की सूचना पर मौके पर पहुंचे। मौके पर दुकान पर श्री जीवण मोहम्मद उपस्थित मिलें। दुकान का मौका निरीक्षण करने पर दुकान में घरेलू गैस के कुल 38 गैस सिलेण्डर भण्डारित पाये गये। श्री जीवण मोहम्मद से पूछताछ कर बयान दर्ज किये गये। अपने बयानों में श्री जीवण मोहम्मद ने बताया कि गांव के उपभोक्ता उनकी गैस की डायरियां उसकी दुकान पर रखकर चले जाते है और गैस एजेन्सी द्वारा घरेलू गैस की आपूर्ति किये जाने पर सभी उपभोक्ताओं की घरेलू गैस की टंकिया उसकी दुकान खाली करवा ली जाती है और फिर उपभोक्ता अपने अपने घरेलू गैस सिलेण्डर उसकी दुकान से ले जाते है। श्री जीवण मोहम्मद की दुकान में किसी प्रकार की गैस कनेक्शन की डायरी या दस्तावेज वक्त निरीक्षण नही पाये गये और न ही कोई उपभोक्ता मौके पर उपस्थित पाये गये। श्री जीवण मोहम्मद से घरेलू गैस के भण्डारण व व्यापार से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछताछ करने पर इनके पास घरेलू गैस के भण्डारण व व्यापार सम्बन्धित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर दुकान में भण्डारित 38 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर को अवैध मानते हुए व श्री जीवण मोहम्मद [illegible] का उल्लघंन किये जाने पर दुकान में भण्डारित 38 घरेलू रसोई गैस [illegible] मौके पर जब्त सरकार किया गया। जब्त किये गये सिलेण्डरों [illegible] है

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.02.27 10:37:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Scanned with OKEN Scanner

क्र. सं.	नाम कम्पनी	एस.आर.नं.	गैस वजन
1	एचपी गैस	135992-S	खाली
2	एचपी गैस	518468-J	खाली
3	एचपी गैस	921191-T	खाली
4	एचपी गैस	354090-E	खाली
5	एचपी गैस	363833-P	खाली
6	एचपी गैस	378165-E	खाली
7	एचपी गैस	821519	खाली
8	एचपी गैस	925259-S	खाली
9	एचपी गैस	174189-S	खाली
10	एचपी गैस	759808-B	खाली
11	एचपी गैस	116320-T	खाली
12	एचपी गैस	214105-S	खाली
13	एचपी गैस	429942-T	खाली
14	एचपी गैस	986240	खाली
15	एचपी गैस	184649-P	खाली
16	एचपी गैस	385894-T	खाली
17	एचपी गैस	287593-S	खाली
18	एचपी गैस	473803-S	खाली
19	एचपी गैस	101337-S	खाली
20	एचपी गैस	388203-S	खाली
21	एचपी गैस	089795	खाली
22	एचपी गैस	201025-S	खाली
23	एचपी गैस	277427-F	खाली
24	एचपी गैस	385800-E	खाली
25	एचपी गैस	403906-S	खाली
26	एचपी गैस	223350-T	खाली
27	एचपी गैस	720114-S	खाली
28	एचपी गैस	108917-S	3 किग्रा
29	एचपी गैस	137017-S	खाली
30	इण्डेन गैस	90375-E	14.2 किग्रा
31	इण्डेन गैस	737941-S	14.2 किग्रा
32	इण्डेन गैस	737962-T	14.2 किग्रा
33	इण्डेन गैस	503495-S	14.2 किग्रा
34	इण्डेन गैस	669839-P	14.2 किग्रा
35	इण्डेन गैस	107343-S	14.2 किग्रा
36	इण्डेन गैस	548201-E	14.2 किग्रा
37	इण्डेन गैस	287206-E	14.2 किग्रा
38	इण्डेन गैस	170177-S	14.2 किग्रा

उपरोक्त 38 गैस सिलेण्डर मय गैस को मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स भकरी मौलास इण्डेन ग्रामीण वितरक भकरी तहसील परबतसर की सुपुर्दगी में दिये गये। इस प्रकार श्री जीवण मोहम्मद का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, 2000 के क्लॉज 3 (c), 7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं।

3. रेस्पोडेन्ट जीवण मोहम्मद द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा पूर्ण से गलत कार्यवाही कर परिवाद पेश किया है अप्रार्थी ग्राम पीह तहसील परबतसर में चेतक, बिरला सिमेन्ट ... डीलर है तथा उसने सिमेन्ट का बड़ा गोदाम कर रखा है। आस–पास के गांवो में ... का कारोबार करता है। अप्रार्थी का गांव तत्समय नागौर जिला वर्तमान डीडवाना–कु... की अन्तिम गांव है उसके पश्चात

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.02.27 10:37:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Scanned with OKEN Scanner

अजमेर जिला शुरू हो जाता है। अप्रार्थी के गांव से पुष्कर 17 किमी दुर है। पुराने समय आज से 10–15 वर्ष पहले गांव पीह व उसके आस पास के क्षेत्र के लोगो के गैस कनेक्शन पुष्कर से थे तथा लोग अपने खेतों में बनी ढाणियों में परिवार सहित निवास करते है। गत 3–4 वर्षो में भकरी में इण्डेन गैस एजेन्सी व थांवला तहसील डेगाना में इण्डेन गैस एजेन्सी आ जाने के कारण कई लागों ने थांवला व भकरी से गैस कनेक्शन ले रखे है। ग्राम पीह से भकरी 25 किमी व थांवला 9 किमी पड़ता है। गांव पीह के आस–पास के खेतो व ढ़ाणियों में रहने वाले कनेक्शनधारी अपना गैस बुक करवा कर खाली गैस सलैण्डर मय डायरी दुकान पर रख देते थे क्योंकि भकरी, थांवला एवं पुष्कर की गैस एजेन्सी की सप्लाई का कोई टाईम टेबल फिक्स नहीं था वो निर्धारित दिन में कभी सुबह जल्दी कभी दोपहर कभी शाम को सप्लाई देने आते थे जिस कारण उपभोक्ता को सुबह से शाम तक गैस एजेन्सी की सप्लाई के इन्ताजार में बैठा रहना पड़ता था। उपभोक्ता सभी अपने अपने खेतों में काम काज में व्यस्त रहने के कारण अपना खाली गैस सिलेण्डर व डायरी व रूपये अप्रार्थी की दुकान पर रख देते थे। सम्बन्धित एजेन्सी की गाडी आने पर गैस एजेन्सी के कर्मचारी अप्रार्थी की दुकान पर भरा हुआ गैस सिलेण्डर रख देते व उपभोक्ता की डायरी में एन्ट्री कर खाली सिलेण्डर व पैसे लेकर चले जाते। उसी दिन शाम को उपभोक्ता अपना भरा हुआ गैस सिलेण्डर व डायरी लेकर चला जाता था। इस सम्पूर्ण लेन–देन में अप्रार्थी को कोई फायदा अथवा अनुचित आय प्राप्त नहीं होती थी। अप्रार्थी केवल गांव व आस–पास के खेतों ढ़ाणियों में रहने वाले लोगों की परेशानियों व समय की बर्बादी को देखते हुए उसकी दुकान पर गैस सिलेण्डर रखवा कर भरवा कर उन्हे देता था। इस प्रकार अप्रार्थी का कृत्य विधि विरूद्ध नहीं रहा। प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी, नागौर ने झुठे तौर पर अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त परिवाद पेश किया है। प्रवर्तन निरीक्षक ने जिन जिन उपभोक्ताओं ने अप्रार्थी की दुकान पर सिलेण्डर रखे उनसे काई पुछताछ नहीं की ना ही उनके बयान लिए। उपभोक्तओं ने अपनी सुविधा के लिए व समय की बर्बादी से बचने के लिए अपनी मर्जी से उक्त सिलेण्डर व डायरी अप्रार्थी की दुकान पर रखी थी। उक्त समस्त सिलेण्डर उपभोक्ताओं के है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही ड्राप फरमाने की कृपा करावें।

4. रेस्पोडेन्ट की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
5. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर एक पक्षीय बहस सुनी। अपीलान्ट की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक श्री रामावतार पूनियां ने अपील में किये गये कथनों को हूबहू दोहराते हुऐ प्रकरण में 38 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confisacation) के आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया है।
6. एक पक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया।प्रकरण में श्री अंकित पंचार जिला रसद अधिकारी, नागौर हमराह श्री कंवराराम प्रवर्तन अधिकारी, श्री रामलाल जाट प्रवर्तन निरीक्षक, श्री विरेन्द्रसिंह जाखड़ प्रवर्तन निरीक्षक, श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दूरभाष पर ग्राम पीह तहसील परबतसर में घरेलू गैस के व्यवसायिक दुरूपयोग की सूचना पर मौके पर पहुंचे। मौके पर दुकान पर श्री जीवण मोहम्मद उपस्थित मिलें। दुकान का मौका निरीक्षण करने पर दुकान में घरेलू गैस के कुल 38 गैस सिलेण्डर भण्डारित पाये गये। श्री जीवण मोहम्मद से पूछताछ करने पर अपने बयानों में श्री जीवण मोहम्मद ने बताया कि गांव के उपभोक्ता उनकी गैस की डायरियां उसकी दुकान पर रखकर चले जाते है और गैस एजेन्सी द्वारा घरेलू गैस की आपूर्ति किये जाने पर सभी उपभोक्ताओं की घरेलू गैस की टंकिया उसकी दुकान खाली करवा ली जाती हैं और फिर उपभोक्ता अपने अपने घरेलू गैस सिलेण्डर उसकी दुकान से ले जाते हैं। श्री जीवण मोहम्मद की दुकान में किसी प्रकार की गैस कनेक्शन की डायरी या दस्तावेज उक्त निरीक्षण नही पाये गये और न ही कोई उपभोक्ता मौके पर उपस्थित पाये गये। श्री जीवण मोहम्मद से घरेलू गैस के भण्डारण व व्यापार से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व कागजात के बारे में पूछताछ करने पर इनके पास घरेलू गैस के भण्डारण व व्यापार सम्बन्धित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.02.27 10:37:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Scanned with OKEN Scanner

अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर दुकान में भण्डारित 38 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर को अवैध मानते हुए व श्री जीवण मोहम्मद द्वारा एलपीजी आदेश 2000 के उपबन्धों का उल्लघंन किये जाने पर दुकान में भण्डारित 38 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डरों को मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स भकरी मौलास इण्डेन ग्रामीण वितरक भकरी तहसील परबतसर सुपुर्दगी में दिये गये। रेस्पोडेन्ट ने अपने जवाब में उक्त सिलेण्डर अन्य उपभोक्ताओं के होना बताया है। घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण एवं उपयोग के लिए वैध अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है। दौराने जांच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञप्ति रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार प्रकरण में मौके पर की गई कार्यवाही सही प्रतीत होती है।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार की जाती है। प्रकरण में जब्तसुदा 38 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का समपहरण (Confisacation) किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा 38 घेरलू गैस सिलेण्डर मय गैस का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, डीडवाना–कुचामन को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 12.02.2024 को सुनाया गया।

12/2/24

(बाल मुकुन्द असावा, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.02.27 10:37:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner